

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०— से

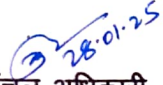
जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 27/सन-2024— 25

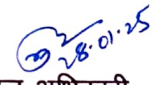
केस का प्रकार — विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28.01.2025	<u>—:आदेश:—</u> यह विविध वाद अभिलेख सं०— 27/2024— 25 आवेदकगण हलीम साँय वगै०, पिता— सुलेमान साँय, साकिन— अरगाली, थाना— धनवार, जिला— गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 10, श्री कंचन कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार आवेदन में वर्णित भूमि सर्वे खतियान के आधार पर मौजा— गादी, थाना नं०— 255, खाता नं०— 85, प्लॉट नं०— 2701, रकबा— 1.36 एकड़ रैयती खाते की है। सर्वे खतियान भिखो राय पिता बालो राय के नाम से दर्ज है। उक्त प्लॉट नं०— 2701 के मध्ये रकबा— 0.69 एकड़ (उनहत्तर डी०) भूमि आवेदक हलीम साँय के पिता सुलेमान साँय एवं हबीब साँय दोनों मिलकर केवाला नं०— 216, दिनांक— 05.01.1981 ई० को खरीदा है। जिसका दाखिल खारिज केश नं०— 791/88—89 द्वारा स्वीकृत है। वर्तमान पंजी— II के पेज नं०— 91, भोलुम नं०— 7 पर लगान रसीद वर्ष 1995— 96 तक ऑफलाईन रसीद निर्गत है तथा ऑनलाईन है तथा ऑनलाईन लगान वर्ष 2024—25 तक निर्गत है। निबंधित केवाला नं०— 216, दिनांक— 05.01.1981 ई० के अवलोकन के स्पष्ट है कि निबंधित केवाला में क्रेतागण दो व्यक्ति हैं:— 1. मो० हबीब साँय पिता तेजली साँय तथा 2. मो० सुलेमान साँय पिता जमायत साँय है। वर्तमान मूल पंजी— II में क्रेता नं०—1. मो० हबीब साँय पिता तेजली साँय नाम दर्ज है एवं क्रेता नं० —02 मो० सुलेमान साँय पिता जमायत साँय का नाम दर्ज नहीं है। इस प्रकार क्रेता नं०—2. मो० सुलेमान साँय का नाम पंजी— II में दर्ज नहीं है। स्थल जाँच करने एवं उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ में ग्रामिणों द्वारा बताया गया कि उपरोक्त वर्णित खरीदगी भूमि पर क्रेता नं०— 01. मो० हबीब साँय एवं क्रेता नं०— 02. मो० सुलेमान साँय दोनों मिलकर उक्त भूमि की खरीदगी की है तथा दोनों बराबर — बराबर के हिस्सेदार है। दोनों के वंशज अपने-अपने हिस्से पर शांतिपूर्ण दखलकार है। किसी प्रकार का दोनों के बीच विवाद नहीं है। क्रेता नं०—02. के वंशज मो० सुलेमान साँय का नाम दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः स्थल जाँच करने ग्रामीणों से पूछताछ करने एवं निबंधित दस्तावेजों के आधार पर क्रेता नं०—2 मो० सुलेमान साँय, पिता जमायत साँय का नाम ऑनलाईन पंजी— II में दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में मौजा— गादी/255 के उपरोक्त वर्णित ऑनलाईन पंजी— II में केवाला दलील के आधार पर क्रेता सं०— 02, मो० सुलेमान साँय, पिता— जमायत साँय का नाम दर्ज करने के	

निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख केवाला में वर्णित सभी क्रेता/उनके जीवित वारिशान के द्वारा लिखित में अनापत्ति दिए जाने तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- गादी, थाना नं०- 255 के ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- VII पृष्ठ सं०- 91 पर जमाबंदी रैयत के नाम में मो० सुलेमान साँय, पिता- जमायत साँय का नाम जोड़ने का आदेश दिया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
धनवार।


अंचल अधिकारी,
धनवार।